भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES भारत दस रुपये TEN RUPEES भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(14)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र० क्र० /पीबीआर/निगरानी /2017

प्र/निगरानी/शिवपुरी/भू-रा/2017/2436

1- राधा बाई उर्फ रज्जो पत्नी स्व. नत्थो

2- मुन्ना पुत्र स्व. श्री नत्थो

3- अशोक पुत्र स्व. नत्थो

4- देवेश उर्फ देवेन्द्र पुत्र स्व. नत्थो

5- श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. श्री नत्थो

6- शिमला पुत्री स्व. श्री नत्थो

समस्त निवासीगण- ग्राम निजामपुर तहसील नरवर जिला शिवपुरी कृषक ग्राम पनघटा तहसील नरवर जिला शिवपुरी म०प्र०

..... प्रार्थीगण

श्री एन. डी. शर्मा अभि० द्वारा आज दि. 31-7-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 31.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

31-7-17

बनाम

करन सिंह पुत्र भागीरथ जाति कुशवाह निवासी - ग्राम कृषक पनघटा तहसील नरवर जिला शिवपुरी म०प्र०

....प्रतिप्रार्थी

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू. रा. संहिता 1959के तहत

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण क्रमांक 83/16-17/अ-12 मैं पारित सीमांकन आदेश दिनांक 1. 7. 2017 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जिसका संक्षिप्त सार निम्नानुसार है :-

निगरानी के संक्षिप्त सार :-

यह कि ग्राम पनघटा तहसील नरवर जिला शिवपुरी मैं स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 271/2 एवं 273 के अभिलिखित भू स्वामी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/2436

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एन.डी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के सीमांकन आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी नरवर जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>अनुविभागीय अधिकारी नरवर</u>**	